

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामिल में हुए</p>
-------------------	--	---

11/5/18

पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 130 RTA के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमीलु वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 16/5/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2013 अटल सेवा केन्द्र पेश हुई वकील वादी, प्रतिवादी पक्षकारान अनुपस्थित/उपस्थित हैं। पक्षकारान के मध्य समझाईस की गई। काफी समझाईस के बाद राजीनामा नहीं होने से पत्रावली न्यायमाल में लौटाई जाकर वास्ते दि. 30/5/18 को पेश हो।

30/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अटल सेवा केन्द्र पेश हुई जो वादी एवं प्रतिवादी द्वारा जवाब पत्र पेश कर विवेकन किया कि उपखण्ड में हम पक्षकारान के मध्य समझाईस में राजीनामा कर दिया है वतः उपखण्ड को डिफो (स्पॉन्स) कर मावे। उक्त पत्र अधिन पत्रावली किया गया। वादिया के इतिवक्त पत्रावली में NOT GROSS कर कोर कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वतः नार. पत्र के आधार पर उपखण्ड इन्डिज किया जाता है। बाद राजस्व लोक अदालत विहित मुद्दों के नम्बर से काम हो। विषय सुनया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (श्रीलवाडा)

क्षरके
Not pr
How

30/5/18
पत्राली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2013
अटल सेवा केंद्र पेश हुई वकील वादी, प्रतिवादी पक्ष
अनुपस्थित/उपस्थित हैं। पक्षकारान के मध्य समझौता
काफी समझाईस के बाद राजीनामा नहीं होने से पत्र
प्रणालय में लौटाई जाकर वास्ते

दि. 30/5/18
के.एम.ए.ए.सी.
॥

Not Press
H
30/5/18

पत्राली राजस्व लोक अदालत न्याय
अटल सेवा केंद्र पेश हुई वकील वादी, प्रतिवादी पक्ष
अनुपस्थित/उपस्थित हैं। पक्षकारान के मध्य समझौता
काफी समझाईस के बाद राजीनामा नहीं होने से पत्र
प्रणालय में लौटाई जाकर वास्ते

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)